01 कार्यालय पुलिस उप-अधीक्षक वृत्त के पाटन जिला बून्दी राज.

क्रमांक- 2240 दिनांक-12..10.2020

सेवा मे,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला बून्दी राज.

विषय –जांच रिपोर्ट परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी S-1 झारखण्ड अपार्टमेन्ट मोड़ जनरल सगत सिह मार्ग खातीपुरा वार्ड नं.14 जयपुर की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

प्रसंग- सं.पो.2.0 हे.ला.181 ग्रिवेंस आई.डी.110200678722755 दिनांक 3.10.2020 की पालना मे।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ मे निवेदन है कि परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी S-1 झारखण्ड अपार्टमेन्ट मोड जनरल सगत सिह मार्ग खातीपुरा वार्ड नं.14 जयपुर का जांच हेतु हे.ला. 181 पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि "1.राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: निस/ सूजस/ 2012/ 3375-434 दिनांक 12/03/2012 के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित जन हित/ नकारात्मक और आलोचनात्मक खबरों की वस्तुस्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट आम जन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है|अतः कृपया मामले की पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।, 2. यही उक्त खबर में वर्णित तथ्य ठोस और प्रामाणिक है तो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए सम्बधित दोषी लोक सेवकों/व्यत्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध सम्बंधित प्रभावी काननों के अंतरगर्त उचित और त्वरित कार्यवाही करते हुए, सम्बंधित प्रकरण का उचित निस्तारण कर सूचित करने की कृपा करें। जिससे आम जन में शासन के प्रति विश्वास कायम हो सके।, 3. यदि प्रारंभिक जाँच से उक्त खबर आपको असत्य /गलत/ भ्रामक या मिथ्या प्रतीत होती है या आप उत्त खबर से सहमत नहीं है और लगता है कि किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है तो इसी अनुरूप सम्बंधित दस्तावेजों सहित अपने पक्ष से हमें तथा सम्बंधित समाचार पत्र को अवगत करावें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की शामक या मिथ्या खबरों के प्रकाशन से आम जन में सरकार की छवि खराब ना होवें।, 4. यदि उपरोक्त परिवाद में किसी प्रकार की जांच लंबित हो तो जांच रिपोर्ट आने तक परिवाद को लंबित रखा जाए।महज जांच के आदेश देने मात्र से ही परिवाद को बंद नहीं किया जाए । इत्यादि

परिवाद की जांच रिपोर्ट थानाधिकारी थाना तालेड़ा से प्राप्त की तो थानाधिकारी थाना तालेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट मे बताया कि 1.राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक:निस/सूजस/2012/3375-434 दिनांक 12/03/2012 के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित जन हित/नकारात्मक और आलोचनात्मक खबरों की वस्तुस्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट आम जन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है अतः कृपया मामले की पूर्ण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

दिनांक 15.09.2020 को प्रार्थी श्री किशन गोपाल पुत्र श्री गोबरी लाल जाति बैरवा उम्र 25 साल निवासी चकावो थाना तालेडा जिला बून्दी ने उपस्थित थाना होकर एक टाईप शुदा रिपोर्ट मय स्व प्रमाणित फोटो प्रति शपथ पत्र, स्व प्रमाणित फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र, घटना के संबध मे हुए फोन कॉल रिकार्ड का मोवाईल स्क्रीन शॉट फोटो प्रति एक लिफाफा जिसमे फोन कॉल रिकार्डिंग सी.डी. होना अकित है के निम्नाकिंत आशय की पैश की - यह कि दिनांक 10.09.2020 को 4.30 से 5 वजे सायं को बाबूलाल भील की हत्या हुई थी । जिसके मृत शरीर को प्रार्थी व अन्य ग्रावासीयान तालेडा सरकारी अस्पताल मे लेकर गये थे वहां डाक्टर पी.सी . मालव ने जांच को बदलने के लिये पहले तो प्रार्थीगण पर ही हत्या का आरोप लगाने लगा फिर गुमराह करने के लिये मृतक बाबुलाल भील को साईलेन्ट हार्ट अटेक की बात करने लगा और जांच को बदलने का प्रयास करने लगा। जिससे तंग व परेशान होकर प्रार्थीगण ने पोस्टमार्टम नही करने दिया और

Scanned by CamScanner

बून्दी अस्पताल मे पोस्टमार्टम के लिये तत्पर हो गये। प्रार्थी अपने गांव चकावो आ गया और कोई सुनवाई नही होते देख कर प्रार्थी किशन गोपाल बैरवा ने अपने मोबाईल नम्बर 8005688954 से बून्दी विधायक अशौक डोगरा को उनके मोबाईल नम्बर 9829230037 पर रात्रि 8.58 पर अपने गांव चकावो से कॉल किया तब प्रार्थी ने मोबाईल को हेण्ड फ्री कर रखा था और प्रार्थी की बातचीत को सभी अन्य ग्रामवासीयान भी सुन रहे थे। प्रार्थी ने बताया की मै किशन गोपाल बैरवा बोल रहा हूं। और घटना की जानकारी दी। तो विधायक अशोक डोगरा ने प्रार्थी को जाति सुचक शब्दो से अपमानित किया और साथ ही मां बहिन की बुरी - बुरी गालीया निकाली और विधायक अशोक डोगरा द्वारा गालीया निकालने के दौरान प्रार्थी ने अन्तिम क्षणो मे मोबाईल पर रिकार्डिंग चालु कर दी। जिससे उनके द्वारा प्रार्थी के साथ की गई अभद्र व्यवहार की करतुत रिकार्ड हो गई। यह की विधायक अशोक डोगरा द्वारा प्रार्थी को जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने से विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इत्यादि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 271/2020 अपराध धारा 504 भा.द.स. व धारा 3(1) (r) (s) एस.सी. एस. टी एक्ट मे पंजिबद्ध किया जाकर अनुसंधान पत्रावली मय सलग्न पत्रादि अनुसंधान हेतु सी.आई.डी (सी.बी.) राज, जयपुर प्रेपित की जा चुकी है

2. यही उक्त खबर में वर्णित तथ्य ठोस और प्रामाणिक है तो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए सम्बधित दोषी लोक सेवकों/व्यत्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध सम्बंधित प्रभावी काननों के अंतरगर्त उचित और त्वरित कार्यवाही करते हुए, सम्बंधित प्रकरण का उचित निस्तारण कर सूचित करने की कृपा करें। जिससे आम जन में शासन के प्रति विश्वास कायम हो सके।

प्रकरण हाजा का अनुसंधान सीआईडी (सीबी) जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

3. यदि प्रारंभिक जाँच से उक्त खबर आपको असत्य /गलत/ भ्रामक या मिथ्या प्रतीत होती है या आप उक्त खबर से सहमत नहीं है और लगता है कि किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है तो इसी अनुरूप सम्बंधित दस्तावेजों सहित अपने पक्ष से हमें तथा सम्बंधित समाचार पत्र को अवगत करावें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की शामक या मिथ्या खबरों के प्रकाशन से आम जन में सरकार की छवि खराब ना होवें।

प्रकरण हाजा का अनुसंधान सीआईडी (सीबी) जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

4. यदि उपरोक्त परिवाद में किसी प्रकार की जांच लंबित हो तो जांच रिपोर्ट आने तक परिवाद को लंबित रखा जाए। महज जांच के आदेश देने मात्र से ही परिवाद को बंद नहीं किया जाए।

प्रकरण हाजा का अनुसंधान सीआईडी (सीबी) जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

परिवाद के सम्बन्ध मे थाना तालेङा पर मुक.नं. 271/2020 अपराध धारा 504 भा.द.स. व धारा 3(1)(r)(s) एस.सी. एस. टी एक्ट मे पंजिबद्ध होकर अनुसंधान सी.आई.डी (सी.बी.) राज, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है।

भवदीय

पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त के.पाटन जिला बून्दी

Scanned by CamScanner